प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 26.07.2025

- **थाना रूरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए विद्युत तार चोरी की घटना कारित करने वाले 03 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से 17 अदद बण्डल चोरी के तार (वजन लगभग 600 कि0ग्रा0), एक अदद पिकअप व तार काटने की मशीन को बरामद किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 27.05.2025 को वादी श्री राकेश दीक्षित पुत्र स्व0 रामसेवक दीक्षित निवासी जजमुइया थाना रुरा जनपद कानपुर देहात द्वारा दी गयी तहरीर बावत दिनांक 03/04 मई की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा 26 पोल के विद्युत तार चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 0174/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। आज दिनाँक 26.07.2025 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि जिन चोरों द्वारा ग्राम सिठमरा में विद्युत तार चोरी किया गया था। वे चोर चोरी किये गये तार को एक लोडर में मैथा से कानपुर बेचने ले जा रहे हैं। उक्त सूचना पर थाना रुरा पुलिस बल ग्राम अलियापुर अन्डरपास ग्राम मैथा पहुंच कर मुखबिर द्वारा बताये गये वाहन का इंतजार करने लगे तभी एक लोडर वाहन संख्या- UP 77 AN 5428 को घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये लोड़र में 17 अदद बण्डल तार जिसका वजन लगभग 600 कि0ग्रा0 तथा एक कैंची नुमा कटर बरामद हुआ तथा पकड़े गये लोड़र से तीन व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया जिनकी जामातलाशी लेकर पूछताछ की गयी तो उन्होनें अपने नाम 1. सत्यम उर्फ नन्हू पुत्र अनिल संखवार निवासी मांडा मैथा थाना शिवली कानपुर देहात 2. महावीर पुत्र रमेश संखवार निवासी मांडा मैथा थाना शिवली कानपुर देहात 3. अमन पुत्र प्रमोद जायसवाल निवासी कोयलानगर थाना चकेरी कानपुर नगर बताया। चोरी हुए तार की बरामदगी के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ- अभियुक्तों से लोडर में रखे तार के बारे में पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि हमनें यह तार दिनाँक 04/05/2025 की रात्रि में ग्राम सिठमरा में लगे बिजली के खंभों से काट कर चुराया था जिसको आज हम लोग बेचने के लिये कानपुर नगर ले जा रहे थे।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों का विवरण –

1. सत्यम उर्फ नन्हू पुत्र अनिल संखवार निवासी मांडा मैथा थाना शिवली कानपुर देहात।
2. महावीर पुत्र रमेश संखवार निवासी मांडा मैथा थाना शिवली कानपुर देहात।
3. अमन पुत्र प्रमोद जायसवाल निवासी कोयलानगर थाना चकेरी कानपुर नगर।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 0174/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना रुरा जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी का विवरण -

1. एक अदद लोडर संख्या- UP 77 AN 5428 व तार काटने की मशीन।
2. 17 अदद बण्डल चोरी के तार (वजन लगभग 600 कि0ग्रा0)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना रुरा पुलिस।